न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 35/2010

वादी :–

पेंपसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी अजीत हाल मजल तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जब्बरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी अजीत तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. उतमसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी अजीत तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. मदनकंवर बेवा विशनसिंह जाति राजपूत निवासी अजीत तहसील समदडी जिला बालोतरा
   प्रतिवादी संख्या 2 नाबलिग उम्र 15 वर्ष होने से कुदरती वलीया माता मदन कंवर बेवा विशनसिंह
4. जबरसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत
5. भूरसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत
6. शान्तिदेवी बेवा नाथुसिंह जाति राजपूत
7. पेपीकंवर पुत्री नाथुसिंह जाति राजपूत
8. सोहनीकंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत
9. इन्द्राकंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत
10. उषाकंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री नरपतसिंह अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित।

:: निर्णयः:

दिनांकः– 15.09.2025

यह वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88 व 188 के तहत पेश किया गया है वाद पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की हक हकूक की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 702 रकबा 58.11 बीघा, खसरा संख्या 720 रकबा 34.06 बीघा कुल रकबा 93.00 बीघा भूमि ग्राम मजल तहसील समदडी में अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं वादी के भाई स्व.विशनसिंह को वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा काश्त था दिनांक 07.10.1963 को उक्त भूमियों में वादी व वादी के भाई स्व. विशनसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हक प्राप्त होने से इन्द्राज किया गया। विशनसिंह के देहान्त के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी के साथ उक्त भूमि में 1/2 हिस्से पर काबिज है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते समय राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से नाथूसिंह पुत्र धनसिंह का नाम वादी के साथ दर्ज कर दिया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मजल या ग्राम अजीत में कभी नहीं रहा न ही वादग्रस्त भूमि में

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

ऐसे व्यक्ति का कभी कोई कब्जा काश्त ही रहा, नाथूसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में बिना कब्जा काश्त के बिना किसी अधिकार के दर्ज कर दिया गया, वादी व वादी के भाई विशनसिंह का वक्त सेटलमेन्ट से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने से उक्त आराजी पर हक हकूक प्राप्त हो चुके है वादी के भाई विशनसिंह के देहान्त के वाद विशनसिंह के विधिक वारिस प्रतिवादी संख्याव 1 ता 3 वादी के साथ विवादग्रस्त आराजी पर आज बदस्तूर काबिज है। वादी ने वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन किये जाने हेतु उक्त वाद पत्र पेश किया है। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से वकील श्री भंवरलाल ने उपस्थित होकर वाद पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया।

वाद में उभयपक्षकारन द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किए गए–

1. तनकी संख्या 1 आया वादी मौजा मजल के खेत खसरा संख्या 702 व 720 रकबा 58.14 बीघा व 34.06 बीघा कुल 93.00 बीघा में खातेदारी पाने के अधिकारीगण है ?

   (वादी)

2. तनकी संख्या 2 आया वादी विवादित भूमि में नाथूसिंह पुत्र धनसिंह का राजस्व रेकर्ड से नाम हटवाने के अधिकारीगण है ?

   (वादी)

3. तनकी संख्या 3 आयावादी विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारीगण है ? (वादी)

4. सहायता

   पेशी दिनांक 15.09.2017 को प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी की ओर से वादपत्र को साबित करने के लिए वादी साक्ष्य पी. डब्लयू 1 पेपसिंह पी.डब्लयू 2 रतनसिंह के सशपथ पत्र बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सवंत् 2057 से 2060 प्रदर्श 1 नामान्तरकरण 24/64 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी 2019 से 2023 प्रदर्श 3 वादग्रस्त भूमि की खसरा गिरदावारी संवत् 2015 से 2018 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4 तथा खसरा गिरदावरी संख्या 2019 से 2022 तक प्रदर्श 5 प्रस्तुत की गई।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता की बहस है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ठाकरखेडा के खसरा संख्या 702 रकबा 58.11 बीघा, खसरा संख्या 720 रकबा 34.06 बीघा कुल रकबा 93.00 बीघा भूमि भू प्रबन्ध के समय से वादी व वादी के भाई विशनसिंह के कब्जा काश्त की है, तथा विशनसिंह के फौत होने पर विशनसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त की रही। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते समय राजस्व कर्मचारियों ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ–साथ सहवन से नाथूसिंह पुत्र धनसिंह का नाम वादी के साथ दर्ज कर दिया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मजल या ग्राम अजीत में कभी नहीं रहा न ही वादग्रस्त भूमि में ऐसे व्यक्ति का कभी कोई कब्जा काश्त ही रहा, नाथूसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में बिना कब्जा काश्त के बिना किसी अधिकार के दर्ज कर दिया गया। वादी ने वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 4 से 10 के पिता/पति नाथूसिंह के वारिसान का हटाये जाकर वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम घोषित किये जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया तथा न्यायिक दृष्टांत 2022(2) DNJ (Rev.)1428 Lalaram Tho's & Anr. versus Radheshyam & Ors. पेश किया।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात, बयानात गम्भीतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया प्रकरण के निस्तारण हेतु पत्रावली पर कायम निम्न तनकीयात का विवेचन किया जाना आवश्यक है।

1. तनकी संख्या 1 आया वादी मौजा मजल के खेत खसरा संख्या 702 व 720 रकबा 58.14 बीघा व 34.06 बीघा कुल 93.00 बीघा में खातेदारी पाने के अधिकारीगण है ?

(वादी)

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी का है वादी ने उक्त में वादी साक्ष्य पी. डब्लयू 1 पेपसिंह ने जिरह मे कथन किया की वादग्रस्त भूमि की काश्त वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता विशनसिंह का कब्जा काश्त की थी वादग्रस्त आराजी पर नाथूसिंह व नाथूसिंह के वारिसान का कभी कब्जा काश्त की नहीं रही प्रदर्श 2 में नाथूसिंह का नाम लिखा गया है गलत लिखा गया है वादग्रस्त भूमि में कब्जा वादीगण का रहा है वादी साक्ष्य पी.डब्लयू 2 ने बयानो में कथन किया की प्रतिवादी संख्या 4 से 6 कभी भी ग्राम मजल में नहीं रहे तथा न ही नाथूसिंह को कभी काश्त करते हुए देखा गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 जमाबंदी ग्राम ठाकरखेडा की जमाबंदी संवत् 2057 से 2060,प्रदर्श, प्रदर्श 2 नामान्तरकरण संख्या 24/64, प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत् 2023–2026, प्रदर्श 4 खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2018, प्रदर्श 5 खसरा गिरदावरी का गंभीरता से अवलोकन

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

किया। वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य दस्तावेज में प्रतिवादी संख्या 4 से 10 की पिता/पति नाथूसिंह पुत्र धनसिंह का नाम दर्ज है वादी द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय विवादित भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो, वादी का यह कथन की नाथूसिंह नाम का कोई व्यक्ति ग्राम अजीत व मजल में निवासरत नहीं है स्वीकाय योग्य नहीं है क्योकि इस सम्बन्ध में तहसीलदार पाली के रिपोर्ट के अनुसार नाथूसिंह नाम के व्यक्ति का अस्तित्व विद्यमान था जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 से 10 है जिनको बतौर पक्षकार वाद में संयोजित किया गया है। वादी अपने तनकी को दस्तावेजी आधार पर साबित करने मे असफल रहा है। उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

1. तनकी संख्या 2 आया वादी विवादित भूमि में नाथूसिंह पुत्र धनसिंह का राजस्व रेकर्ड से नाम हटवाने के अधिकारीगण है ?

   (वादी)

2. तनकी संख्या 3 आयावादी विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारीगण है ? (वादी)

तनकी संख्या 2 व 3 को साबित करने का भार वादी का है। तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित किये जाने से तनकी संख्या 2 व 3 की विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुतोषः– उपर्यक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वादीगण द्वारा तनकी संख्या 1 से 3 को साबित करने में सफल नहीं हो पाये है लिहाजा वादी का वाद –पत्र उपरोक्त विवेचना के आधार पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 35 / 2010

वादी :–

पेंपसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी अजीत हाल मजल तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जब्बरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी अजीत तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. उतमसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी अजीत तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. मदनकंवर बेवा विशनसिंह जाति राजपूत निवासी अजीत तहसील समदडी जिला बालोतरा
   प्रतिवादी संख्या 2 नाबलिग उम्र 15 वर्ष होने से कुदरती वलीया माता मदन कंवर बेवा विशनसिंह
4. जबरसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत
5. भूरसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत
6. शान्तिदेवी बेवा नाथुसिंह जाति राजपूत
7. पेपीकंवर पुत्री नाथुसिंह जाति राजपूत
8. सोहनीकंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत
9. इन्द्राकंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत
10. उषाकंवर पुत्री नाथूसिंह जाति राजपूत
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : –15.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता मिनजानिव पेश होकर डिगरी दी जाती है कि तनकी संख्या 1 से 3 वादी के विरूद्ध निस्तारित किये जाने के कारण वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.09.2025 को जारी की गई।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना